FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0164 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 25/06/2025 19:07 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/06/2025 **Date To (दिनांक तक):** 24/06/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:10 बजे **Time To (समय तक):** 17:53 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/06/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 25/06/2025 19:07:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 75 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** PATAWAR KARYALYA BELVA, TEHASIL BALESAR JILA JODHPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
   (a) Name(नाम): DALARAM
   (b) Father's Name (पिता का नाम): BHAGARAM
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1995 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
   (e) UID No(यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) Occupation (व्यवसाय):
   (i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOAN BALESAR SATA, BALESAR, BALESAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOAN BALESAR SATA, BALESAR, BALESAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

   (j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEEPAK SHARMA		पिता:RADHESHYAM SHARMA	1. 20,PRATAPNAGAR BENAD ROAD NADEE KA FATAK,MURLIPURA,MURLIPURA,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपूर (ग्रामीण) विषयः- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने बाबत्। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत मुझ प्रार्थी दलाराम पुत्र श्री भगाराम जाति माली उम्र 30 वर्ष निवासी बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर जिला जोधपुर का निवेदन इस प्रकार है कि मैने जनवरी 2025 में पटवार हल्का बेलवा स्थित ग्राम राजगढ, में सरहद में श्रीमति धनुदेवी पत्नी वीरमाराम जाति माली निवासी शिव कोलानी कुई जोधा से खसरा संख्या 2285 की 0.5423 हेक्टर जमीन खरीदी थी। जिसकी रजिस्ट्री मैंने जनवरी 2025 में तहसील कार्यालय बालेसर में करवाई थी। नामातंरण हेतु मुझे किसी ने बताया कि डेढ महिने में अपने आप ही नामातंरण हो जाता है जिस पर मैंने 2 महिने तक इंतजार किया। मगर मेरा नामातंरण नहीं भरा गया जिस पर मुझे किसी ने बताया कि नामातंरण हेतु आपको अब पटवारी जी को दस्तावेज पेश करने होगे जिस पर मैं बेलवा हल्का पटवारी दीपक जी शर्मा के पास रजिस्ट्री के दस्तावेज लेकर गया रजिस्ट्री दस्तावेज पटवारी जी को पेशकर नामातंरण हेतु निवेदन किया तो पटवारी जी ने बाद में मिलना व कांल करने कहा। मेरी कुछ समय वापस कांल पर हुई तो उन्होने वापस मिलने का बोला और बताया की आप आओ या किसी ओर को भेजो। बालेसर में मिले तो बताया की फीस के 2000 रूपये देने पडेगे। तब आपका नामातंरण भरा जायेगा पटवरी जी मेरे से फीस के नाम रिश्वत के रूप में 2000 लेना चाहते है मैं मेरे जायज कार्य के लिए पटवारी श्री दीपक शर्मा को रिश्वत के 2000/- रूपये नहीं देना चाहता हूं। ओर पटवारी श्री दीपक शर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। पटवारी श्री दीपक शर्मा से मेरी कोई रंजिश व दुश्मनी नहीं है। ओर व न ही कोई लेनदेन बकाया है। रजिस्ट्री के दस्तावेज व जमाबंदी नकल की प्रतिलिपि पेश कर रहा हूं।प्रार्थी एसडी दलाराम पुत्र भगाराम जाति माली उम्र 30 वर्ष निवासी बालेसर जिला जोधपुर मो. न. [redacted] एसडी प्रतापसिंह, वरिष्ठ सहायक एसडी दीपक कडेल कनिष्ठ सहायक एसडी मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण कार्यवाही पुलिस दिनांक 12.06.2025 को वक्त 04.10 पी.एम.पर इस समय परिवादी श्री दलाराम पुत्र श्री भगाराम जाति माली उम्र 30 वर्ष निवासी बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर जिला जोधपुर ने एक लिखित रिपोर्ट पेश कर दरियाफ्त पर बताया कि मैने जनवरी 2025 में पटवार हल्का बेलवा स्थित ग्राम राजगढ, में सरहद में श्रीमति धनुदेवी पत्नी वीरमाराम जाति माली निवासी शिव कोलानी कुई जोधा से खसरा संख्या 2285 की 0.5423 हेक्टर जमीन खरीदी थी। जिसकी रजिस्ट्री मैंने जनवरी 2025 में तहसील कार्यालय बालेसर में करवाई थी। नामातंरण हेतु मुझे किसी ने बताया कि डेढ महिने में अपने आप ही नामातंरण हो जाता है जिस पर मैंने 2 महिने तक इंतजार किया। मगर मेरा नामातंरण नहीं भरा गया जिस पर मुझे किसी ने बताया कि नामातंरण हेतु आपको अब पटवारी जी को दस्तावेज पेश करने होगे जिस पर मैं बेलवा हल्का पटवारी दीपक जी शर्मा के पास रजिस्ट्री के दस्तावेज लेकर गया रजिस्ट्री दस्तावेज पटवारी जी को पेशकर नामातंरण हेतु निवेदन किया तो पटवारी जी ने बाद में मिलना व कोल करने कहा। मेरी कुछ समय वापस कोल पर हुई तो उन्होने वापस मिलने का बोला और बताया की आप आओ या किसी ओर को भेजो। बालेसर में मिले तो बताया की फीस के 2000 रूपये देने पडेगे। तब आपका नामातंरण भरा जायेगा पटवारी जी मेरे से फीस के नाम रिश्वत के रूप में 2000 लेना चाहते है मैं मेरे जायज कार्य के लिए पटवारी श्री दीपक शर्मा को रिश्वत के 2000/- रूपये नहीं देना चाहता हूं। मजमून से मामला भ्र.नि.अ. (पी.सी. एक्ट) 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन व अन्य आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 12.06.2025 को वक्त 04.30 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ने कार्यालय मेंउपस्थित श्री रामकिशोर कानि. 13 को कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री रामकिशोर कानि. 13 से परिवादी श्री दलाराम का आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकलवाकर परिवादी श्री दलाराम एवं श्री रामकिशोर कानि. 13 को कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चलाना व बंद करने की समझाईस की जाकर परिवादी दलाराम व श्री रामकिशोर कानि. 13 के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। परिवादी श्री दलाराम ने बताया कि आज शाम का समय हो गया तथा रास्ते में समय लगने से आज पटवारी श्री दीपक शर्मा मिलना मुश्किल है कल दिनांक 13.06.2025 को श्री दीपक शर्मा पटवारी उपस्थित मिल सकते है, आप कल श्री रामकिशोर कानि. को भेज देना मैं बालेसर उपस्थित मिल जाउंगा। जिस पर परिवादी श्री दलाराम को आवश्यक गोपनीयता बरतने एवं कल दिनांक 13.06.2025 को सुबह 10.00 बजे बस स्टैण्ड

बालेसर पर श्री रामकिशोर कानि. को उपस्थित मिलने की हिदायत दी गई। दिनांक 12.06.2025 को वक्त 05.15 पी.एम. पर परिवादी श्री दलाराम को आवश्यक गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 13.06.2025 को वक्त 09.15 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वायस रिकॉर्डर निकालकर उसमेंनया सेनडिस्क अल्ट्रा कम्पनी का 32 जीबी मेमोरी कार्ड डाल कर उक्त डिजिटल वायस रिकॉर्डर की मेमोरी एवं नये मेमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डिजिटल वायस रिकॉर्डर श्री रामकिशोर कानि. 13 को सुपुर्द कर परिवादी श्री दलाराम से सम्पर्क कर संदिग्ध आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी एवं परिवादी के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड कर लाने की हिदायत देकर परिवादी के बताये अनुसार बालेसर की तरफ रवाना किया गया। दिनांक 13.06.2025 को वक्त 06.07 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को श्री रामकिशोर कानि. 13 ने अपने मोबाईल फोन से मेरे मोबाईल पर काल कर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर जरिये बस बालेसर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री दलाराम अपनी मोटरसाईकिल के साथ उपस्थित मिला जिस पर मैने परिवादी श्री दलाराम से संदिग्ध आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी की उपस्थिती के सम्बन्ध में पुछा तो परिवादी श्री दलाराम ने गोपनीय रूप से मालूम कर मुझे बताया कि श्री दीपक शर्मा पटवारी आज पटवार मण्डल ग्राम बेलवा पर उपस्थित है जिस पर मैं व परिवादी श्री दलाराम परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से रवाना होकर पटवार मण्डल बेलवा से थोडा पहले पहुचे जहा पर परिवादी की मोटरसाईकिल को एक तरफ रूकवाकर मैने कार्यालय का डिजिटल वायस रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी श्री दलाराम के पहने हुए कमीज के सामने की उपर की बांई जेब में डालकर परिवादी दलाराम को उसकी मोटरसाईकिल से संदिग्ध आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी से वार्ता करने हेतु पटवार कार्यालय बेलवा की तरफ रवाना कर मैं वही आस-पास अपनी उपस्थिती छुपाते हुए खडा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री दलाराम मेरे पास उपस्थित आया व डिजिटल वायॅस रिकार्डर अपनी जेब से निकाल कर चालू हालत में मुझे सुपर्द किया जिस पर मैने डिजिटल वायॅस रिकार्डर को स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी दलाराम ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर पटवार कार्यालय बेलवा पहुंचा जंहा पर श्री दीपक शर्मा पटवारी मुझे उपस्थित मिले जिनसे मेरी वार्ता हुई दौराने वार्ता श्री दीपक शर्मा पटवारी ने मेरे से मेरे म्यूटेशन भरने की एवज में 2500/- रूपये की मांग की जिस पर मेरे द्वारा कुछ कम करने का कहने पर 2,000/-रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुआ। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रामकिशोर कानि. 13 को निर्देशित किया कि परिवादी श्री दलाराम को गोपनीयता बरतने एवं रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था हो जाने पर सूचित करने की हिदायत देकर वही पर छोडा जाने एवं कार्यालय डिजिटल वायस रिकॉर्डर लेकर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। दिनांक 13.06.2025 को वक्त 09.30 पी.एम.पर श्री रामकिशोर कानि. 13 उपस्थित कार्यालय आया एवं डिजिटल वायस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड स्विच ऑफ शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर उपरोक्तानुसार हालात निवेदन किये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त कार्यालय के डिजिटल वायस रिकॉर्डर को चालु कर उसमें रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी द्वारा परिवादी से उसके म्यूटेशन भरने की एवज में 2500/-रू. रिश्वत की मांग करना तथा परिवादी द्वारा कुछ कम करने का कहने पर 2000/- रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना पाया गया। श्री दीपक शर्मा पटवारी द्वारा परिवादी श्री दलाराम से दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन 2,000/- रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात डिजिटल वायस रिकॉर्डर को स्विच ऑफ कर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा आईन्दा फर्द ट्रांस्क्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 23.06.2025 को वक्त 04.30 पी.एम. पर श्री रामकिशोर कानि. 13 ने कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज दिनांक 23.06.2025 को वक्त 04.09 पी.एम. पर मैने परिवादी श्री दलाराम के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मेरे मोबाईल [redacted] से काल किया तो परिवादी श्री दलाराम ने मुझे बताया कि मै मेरे घरेलु कार्य से रिशतेदारी में बाहर गया हुआ था अब मेरा पटवारी श्री दीपक शर्मा से सम्पर्क हो गया है तथा श्री दीपक शर्मा पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाले राशि की व्यवस्था हो गई है एवं श्री दीपक शर्मा पटवारी कल दिनांक 24.06.2025 को पटवार कार्यालय बेलवा या तहसील बालेसर में उपस्थित मिल सकते है। जिस पर परिवादी को कल दिनांक 24.06.2025 को 11.00 ए.एम पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2,000/रूपये अपने साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया साथ ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीगर राजकार्य में व्यस्त होने से तथा कार्यालय हाजा पर निरीक्षक पुलिस उपलब्ध नहीं होने के कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु एक निरीक्षक पुलिस की आवश्यकता होने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु एक निरीक्षक पुलिस को भिजवाने हेतु निवेदन किया गया तथा उच्च अफसरान को हालात निवेदन किये गये। दिनांक 23.06.2025 को वक्त 05.30 पी.एम पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर से श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। दिनांक 23.06.2025 को वक्त 06.00 पी. एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष मेंतलब कर परिवादी श्री दलाराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय दस्तावेजात का अवलोकन करवाकर दिनांक 13.06.2025 को परिवादी श्री दलाराम व संदिग्ध आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता डिजीटल वायस रिकॉर्डर

में लगे सेनडिस्क अल्ट्रा कम्पनी का 32 जीबी मेमोरी कार्ड मेंरिकार्ड है उक्त डिजीटल वायस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के श्री मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर दिनांक 24.06.2025 को परिवादी श्री दलाराम के कार्यालय में उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 23.06.2025 को वक्त 06.20 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी दलाराम की लिखित रिपोर्ट का पुनः अवलोकन कर दिनांक 13.06.2025 को परिवादी श्री दलाराम व संदिग्ध आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी के मध्य हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता डिजीटल वायस रिकॉर्डर में लगे सेनडिस्क अल्ट्रा कम्पनी का 32 जीबी मेमोरी कार्ड मेंरिकार्ड है उक्त डिजीटल वायस रिकॉर्डर को ऑन कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो मय मैमोरी कार्ड आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी द्वारा परिवादी से उसके म्यूटेशन भरने की एवज में 2500/-रू. रिश्वत की मांग करना तथा परिवादी द्वारा कुछ कम करने का कहने पर 2000/- रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना एवं रिशवति राशि मांग सत्यापन होना पाया गया। उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा टांसक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वायस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड एवं परिवादी रिपोर्ट एवं संलग्र दस्तावेजात की पत्रावली को सुरक्षित अलमारी में रखा जाकर चाबी मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास रखी। दिनांक 24.06.2025 को वक्त 11.00 ए.एम. पर मन् मनीश चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर के नाम से पत्र क्रमाक 1155 दिनांक 24.06.2025 तैयार कर दो स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु श्री बलराम कानि 252 व श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को उक्त पत्र सुपुर्द कर रवाना कार्यालय कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर को किया गया। दिनांक 24.06.2025 को वक्त 1.00 पी.एम. पर श्री बलराम कानि. 252 व श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक उपरोक्त फिकरा के कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर गये हुए दो कार्मिकों को लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये जिस पर उक्त दोनों कार्मिको को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उक्त दोनो कार्मिकों से उनका बारी-बारी से परिचय प्राप्त किया जाने पर श्री प्रतापसिंह चैहान पुत्र श्री रतनसिंह चैहान जाति राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी बी-33 यू.आई.टी. कालोनी प्रतापनगर जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जोधपुर मोबाईल नम्बर [redacted] श्री दीपक कडेल पुत्र श्री मधुसुदन जाति मेघवाल उम्र 31 साल निवासी आसोप तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक सी.एम.एच.ओ. द्वितीय जोधपुर मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। दिनांक 24.06.2025 को वक्त 01.15 पी.एम. पर मन् मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर उनके कार्यालय कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री दलाराम से मन निरीक्षक पुलिस आपसी परिचय करवाया गया एवं अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया। दिनांक 24.06.2025 को वक्त 01.20 पी.एम.पर मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी दलाराम के पुलिस निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित आया तथा परिवादी श्री दलाराम ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मैं श्री दीपक शर्मा पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 2,000/- रूपये लेकर उपस्थित आया हुं तथा दौराने मांग सत्यापन वार्ता के सग्दिध आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी ने मेरे से 2500/- रिश्वत राशि की मांग की थी, मैने कुछ कम करने का कहने पर सग्दिध आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी 2,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुआ। दिनांक 24.06.2025 को वक्त 01.30 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय में पूर्व से उपस्थित उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री दलाराम से आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी श्री दलाराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं पढने को दी गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय के डिजिटल वायस रिकॉर्डर में लगे सेनडिस्क अल्ट्रा कम्पनी का 32 जीबी मेमोरी कार्ड जिसमेंपरिवादी श्री दलाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री दीपक शर्मा के मध्य हुई दिनांक 13.06.2025 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाया गया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मेंअंकित तथ्यो के संबंध मेंपरिवादी से पूछताछ कर तसल्ली कर ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। दिनांक 24.06.2025 को वक्त 1.55 पी.एम पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर से श्री मेघराज सउनि ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु उपस्थित आये। दिनांक 24.06.2025 को वक्त 2.00 पी. एम पर स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री दलाराम पुत्र श्री भगाराम जाति माली उम्र 30 वर्ष निवासी बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर जिला जोधपुर ने रिश्वत में दिये जाने वाली राशि 2,000/- रूपये जिसमें 500-500 रूपये के कुल 04 नोट प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नंबर निम्नानुसार है 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 QW 901922, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 WD 731096, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 HF 783999, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 FW 911471 मन् मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से कार्यालय के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर संदिग्ध आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी को दी जाने वाली उपरोक्त रिश्वती राशि 2,000/-रू. भारतीय मुद्रा के नोटो को श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर उक्त सभी नोटो पर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ से हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात मन मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री दलाराम की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह

श्री प्रतापसिंह चैहान वरिष्ठ सहायक से लिरवाई गई तो परिवादी के बदन पर पहने हुए कपड़ो में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। ताबाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 2,000/- रुपये भारतीय मुद्रा के नोटो को श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से ही परिवादी श्री दलाराम के पहनी हुई पेन्ट की आगे की बांयी जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की वह अपनी जेब मेंरखे उक्त नोटों को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनो हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहा रखता है अथवा कहां छुपाता हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर अपने मोबाईल नं. [redacted] से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस काल/काल अथवा अपने दोनो हाथ सिर पर दो बार आगे से पीछे की तरफ फेर कर गोपनीय ईशारा करें ताकि मन् निरीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वत राशि के लेन-देन होने का पता चल सके। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् एक नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुष्ठ को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई की जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथो की अंगुलियो व अंगुठे को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि प्राप्त की हैं। इस प्रकार दृष्टान्त की क्रिया-अभिक्रिया को भली-भांति समझाया जाकर दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में रूबरू गवाहान के श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार पर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार तथा पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। ट्रैप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलासे ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिरवाई गई तो टेम्प दल में ब्यूरों स्टाफ के पास स्वयं के मोबाईल एवं विभागीय परिचय पत्र तथा मन् निरीक्षक पुलिस के पास आकस्मिक खर्च के 2800/- रू0 रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रैप पार्टी एवं गवाहान के हाथ साफ पानी में एवं साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाई जाकर कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत की गई। उक्त की गई कार्यवाही की विडियोग्राफी मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन से करवाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एव सुपुर्दगी रिशवत राशि मुर्तिब कर संबधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। अब तक के हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। दिनांक 24.06.2025 को वक्त 03.55 पी.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वायस रिकॉर्डर मेंलगे सेनडिस्क अल्ट्रा कम्पनी का 32 जीबी मेमोरीकार्ड जिसमें परिवादी श्री दलाराम एवं आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी के मध्य दिनांक 13.06.2025 को हुई रुबरु रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप रिकार्ड हैं, को डिजिटल वायस रिकॉर्डर से बाहर निकाल कर मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। दिनांक 24.06.2025 को वक्त 4.00 पी.एम. पर मन् मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री प्रतापसिंह चौहान वरिष्ठ सहायक एवं श्री दीपक कडेल कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री दलाराम, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सउनि, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री संजय कानि. 587, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री बलराम कानि. 252 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय नये आरडी गोल्ड कम्पनी का 04 जीबी मेमोरी कार्ड एवं दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर सुपरविजन हेतु श्रीमान पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के जरियें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन नम्बर आर.जे. 19 सी.एच. 4143 एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूएल 5813 मय चालक श्री लालाराम के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से तहसील कार्यालय ग्राम बेलवा की तरफ रवाना हुआ। दिनांक 24.06.2025 को वक्त 05.25 पी.एम पर मन् मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री प्रतापसिंह चौहान वरिष्ठ सहायक एवं श्री दीपक कडेल कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री दलाराम, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सउनि, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री संजय कानि. 587, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री बलराम कानि. 252 एवं एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय नये आरडी गोल्ड कम्पनी का 04 जीबी मेमोरी कार्ड एवं दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर श्रीमान पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक के निजी वाहन नम्बर आर.जे. 19 सी.एच. 4143 एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूएल 5813 मय चालक श्री लालाराम के बालेसर से पहले हाईवे पर बेलवा गांव की तरफ जाने वाले मोड पर पहुंच परिवादी श्री दलाराम द्वारा पूर्व से खडी की गई मोटरसाईकिल से परिवादी श्री दलाराम मय श्री रामकिशोर कानि. को बेलवा गांव की तरफ रवाना कर उनके पिछे-पिछे मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान जरिये वाहनो के बेलवा गांव की तरफ रवाना हुआ। दिनांक 24.06.2025 को वक्त 05.35 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के फिगरा उपरोक्त का रवाना सुदा बेलवा गांव के थोडा पहले सरकारी स्कूल के पास पहुचे जंहा पर वाहनो को गोपनीय रूप से रोड के साईड में किनारे खड़ा करवाकर परिवादी श्री दलाराम मय कानि श्री रामकिशोर परिवादी की मोटरसाईकिल सहित उपस्थित मिले जिस पर कार्यालय के डिजीटल वायस रिकॉर्डर में नया आरडी गोल्ड कम्पनी का 04 जीबी मेमोरी कार्ड डालकर उक्त डिजिटल वायस रिकॉर्डर की मेमोरी एवं नये मेमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर श्री रामकिशोर कार्यालय का डिजीटल वायस रिकॉर्डर सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि पटवार कार्यालय बेलवा के पास पहुच कर उक्त डिजिटल वायस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द करे। तत्पशचात परिवादी श्री दलाराम व श्री रामकिशोर कानि. 13 को परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से आरोपी के पटवार कार्यालय बेलवा की तरफ रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन् निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं हमरायान ब्यूरो जाब्ता निजी वाहन व सरकारी वाहन से पटवार कार्यालय बेलवा की तरफ रवाना हुए। दिनांक 24.06.2025 को वक्त 05.40 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता के जरिये वाहनो पटवार कार्यालय बेलवा के पास पंहुच वाहनो का गोपनीय रूप से रोड के किनारे खडा करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहन मय ब्यूरो जाब्ता के पैदल पैदल रवाना होकर पटवार कार्यालय बेलवा के आस-पास गोपनीय रूप से अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के ईन्तजार में मुकिम हुए। दिनांक 24.06.2025 को वक्त 05.53 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री दलाराम ने पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा अपने हाथ से दो बार आगे से पीछे की और सिर पर फेर कर किया जिसे मन् निरीक्षक पुलिस व हमरा ब्यूरो जाब्ता द्वारा देखा गया । जिस पर मन् मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस मय उक्त दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री दीपक कडेल व श्री प्रतापसिंह चैहान, ब्यूरो दल के सदस्य मेघराज स.उ.नि., श्री बचनाराम कानि. 447, श्री संजय कानि. 587, श्री ओमप्रकाश कानि. 260, श्री बलराम कानि. 252, श्री रामकिशोर कानि. 13, हमराह लेकर पटवार कार्यालय बेलवा मेंप्रवेश हुआ तो पटवार कार्यालय के बाहर परिवादी श्री दलाराम खडा मिला जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को पूर्व मेंदिया गया डिजिटल वायस रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वीच आफ कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अपने पास रखा जाकर डिजिटल वायस रिकार्डर मेंरिकार्ड वार्ता का आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया तथा परिवादी श्री दलाराम ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि श्री दीपक शर्मा पटवारी अपने पटवार कार्यालय कक्ष में बेठे है जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान व परिवादी के पटवार कार्यालय बेलवा के अन्दर प्रवेश किया तो सामने टेबल कुर्सी पर चश्मा पहने एक व्यक्ति बैठा मिला उस व्यक्ति की तरफ परिवादी श्री दलाराम ने ईशारा कर बताया कि यह व्यक्ति श्री दीपक शर्मा पटवारी, पटवार मंडल बेलवा है जिनसे अभी कुछ देर पहले मैं मिला तो उन्होने मुझे मेरे जमीन की रजिस्ट्री की नकल ई-मित्र से मंगवाई थी जिस पर मैं अपनी मोटरसाईकिल से बेलवा गांव के बाजार में स्थित ई-मित्र से मेरी जमीन की रजिस्ट्री की नकल लेकर पटवार कार्यालय बेलवा आकर उक्त नकल पटवारी श्री दीपक शर्मा को दी उसके पश्चात श्री दीपक शर्मा पटवारी ने मुझे अपने साथ अपने कार्यालय कक्ष के पीछे की तरफ बने बरामदे मेंले जाकर मेरे से ईशारे से मांग कर 2,000/- रुपये रिश्वति राशि के अपने हाथो में लेकर, गिनकर उक्त बरामदे में रखी लोहे की चारपाई पर रखे नीले भूरे व सफेद रंग के चैकडीदार टावल में रखे हैं। जिस पर टेबल कुर्सी पर बैठे उक्त व्यक्ति को मन निरीक्षक पुलिस, मय दोनो गवाहान व ब्यूरो टीम का परिचय दिया जाकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 31 साल पेशा नौकरी निवासी 20 प्रतापनगर बेनाड रोड नाडी का फांटक मुरलीपुरा जयपुर पुलिस थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार मंडल बेलवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर होना बताया। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की दलाराम की तरफ ईशारा कर श्री दीपक शर्मा पटवारी को पूछा गया कि आप इसे जानते हो जिस पर श्री दीपक शर्मा ने रुबरु गवाहान के बताया कि यह श्री दलाराम हैं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री दीपक शर्मा से पूछा गया कि आपने अभी-अभी परिवादी श्री दलाराम से किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त की हैं तथा श्री दलाराम का आपके म्यूटेशन से संबंधित कोई कार्य विचाराधीन हैं के बारे मेंपूछने पर श्री दीपक शर्मा पटवारी ने बताया कि कुछ देर पहले श्री दलाराम मेरे पास अपनी जमीन का म्यूटेशन भरवाने आया था जिनसे मैने उनकी जमीन के रजिस्ट्री की नकल मंगवाई थी जो ई-मित्र से लेकर मेरे पास आया था उसके बाद मैंने श्री दलाराम को अपने कार्यालय कक्ष के पीछे बने हुए बरामदे मेंले जाकर श्री दलाराम से उसके म्यूटेशन भरने की एवज में2,000/- रुपये प्राप्त कर, गिनकर मेरे कार्यालय कक्ष के पीछे बने बरामदे में रखी लोहे की चारपाई पर रखे नीले भूरे व सफेद रंग के चौकडीदार टावल में रखे हैं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी दीपक शर्मा से यह राशि किसके लिए है के बारे में पूछने पर श्री दीपक शर्मा पटवारी ने उक्त राशि स्वंय के लिए लेना बताया एवं कंहा कि साहब मेरे से गलती हो गई हैं माफ कर दो। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी के दोनो हाथ कलाईयों के उपर से श्री ओमप्रकाश कानि. 260 व श्री रामकिशोर कानि.13 से पकड़वाया गया।

तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व ब्यूरो जाब्ता एवं आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी के पटवार कार्यालय कक्ष के पीछे बने बरामदे में पहुचे जंहा पर बरामदे में एक लोहे की चारपाई लगी होना पाई गई जिस पर एक लाल रंग की दरी बिछी हुई थी उक्त लाल रंग की दरी पर एक नीले भूरे व सफेद रंग के चौकडीदार टावल समेट कर रखा हुआ पाया गया उक्त टावल की तरफ परिवादी श्री दलाराम ने ईशारा कर बताया कि श्री दीपक शर्मा पटवारी ने मेरे से 2000/- रूपये रिश्वति राशि प्राप्त कर इसी टावल में रखे थे। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह चैहान से उक्त लोहे की चारपाई पर समेट कर रखें नीले भूरे व सफेद रंग के चैकडीदार टावल को खुलवाया गया तो उक्त टावल में 500-500 रूपये 04 नोट पाये गये। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह चैहान से उक्त 500-500 रूपये के नोटो को उठवा कर गिनवाया गया तो उक्त राशि 2000/- रूपये होना पाई गई। उक्त राशि को गवाह श्री प्रतापसिंह चैहान के पास सुरक्षित रखवाई गई। तथा उक्त नीले भूरे व सफेद रंग के चैकडीदार टावल को गवाह दीपक कडेल के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पटवारी श्री दीपक शर्मा से परिवादी श्री दलाराम द्वारा अभी कुछ देर पहले उनको दी गई जमीन के रजिस्ट्री की नकल के संबंध में पूछा तो श्री दीपक शर्मा पटवारी ने बताया कि उक्त नकल मेरे टेबल पर रखी है जिस पर समस्त हमरायान के मय आरोपी के बरामदे से रवाना होकर पटवार कार्यालय कक्ष में पहुचे जंहा पर पटवारी श्री दीपक शर्मा ने अपनी टेबल पर परिवादी श्री दलाराम की जमीन की रजिस्ट्री की नकल पेश की जिसका अवलोकन कर परिवादी श्री दलाराम की जमीन की रजिस्ट्री की नकल श्री दीपक कडेल के पास सुरक्षित रखवाई गई। चूकि उक्त स्थान पटवार कार्यालय होकर कार्यालय के बाहर भीड़भाड़ अधिक होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने में बाधा उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है। अतः अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर मेंकरने का निर्णय लिया जाकर आरोपी श्री दीपक शर्मा को यथा स्थिति में ही सरकारी बोलेरो वाहन में बैठाकर, पटवार कार्यालय बेलवा का ताला लगवाकर चाबी मन् निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखी तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री दलाराम व श्री संजय कानि. को मोटर साईकिल से पुलिस थाना बालेसर पहुचने की हिदायत कर मन निरीक्षक पुलिस, मय स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह मय रिश्वति राशि व स्वतंत्र गवाह श्री दीपक कडेल मय टावल व रजिस्ट्री की नकल मय ब्यूरो जाब्ता एवं श्री पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में मय सरकारी व निजी वाहन से वक्त 06.15 पीएम पर पटवार कार्यालय बेलवा से रवाना होकर वक्त 6.30 पी. एम. पर पुलिस थाना बालेसर पहुचा। इस दौरान परिवादी श्री दलाराम व श्री संजय कानि. भी पुलिस थाना बालेसर उपस्थित आये। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा थाना हाजा मेंडी.ओ ड्युटी पर उपस्थित श्री डुगरसिंह हैड कानि. पुलिस थाना बालेसर को अपना व हमराहियान का परिचय देकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना पर करने की सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात थाना हाजा के थानाधिकारी कक्ष मेंपहुच सरकारी वाहन बोलेरो से ट्रेप बाक्स मंगवाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में दो साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकालकर दोनो गिलास मेंपुलिस थाना के कैम्पर से पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा दोनों गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी झाईनुमा हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी झाईनुमा को आधा-आधा दो कांच की साफ शीशीयो मेंभरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क आरएच-1, आरएच-2 अंकित किया गया। उक्त दूसरी प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मेंआरोपी श्री दीपक शर्मा के बांये हाथ की अंगूलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया, जिसे सभी उपस्थितान ने मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त मटमैला धोवन को भी दो साफ कांच की शीशियों मेंआधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाह श्री दीपक कडेल को इस प्रकरण से संबंधित पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि देकर गवाह श्री प्रतापसिंह चैहान के पास पूर्व मेंसुरक्षित रखवाई गई बरामदा रिश्वति राशि 500-500 रूपये के 04 नोट कुल 2000/- रूपये उक्त बरामदा नोटों के नम्बरों का मिलान स्वतन्त्र गवाह श्री दीपक कडेल द्वारा बोल बोलकर करवाया गया तो उक्त नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त नोटो के नम्बर फर्द में अंकित कर उक्त बरामद रिशवती राशि को एक सफेद कपड़े में कोने से सिलाई कर सील चिट कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात स्वतंत्र गवाह श्री दीपक कडेल के पास पूर्व में सुरक्षित रखवाये गये रिश्वति राशि बरामदगी स्थल नीले भूरे व सफेद रंग के चैकडीदार टावल का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बाक्स से निकलवाकर पुलिस थाना के कैम्पर से साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त साफ पानी से भरी गिलास मेंएक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में नीले भूरे व सफेद रंग के चैकडीदार टावल के रिश्वति राशि बरामदगी स्थल को उक्त रंगहीन घोल मेंडूबोकर धुलवाया गया तो उक्त रंगहीन घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी

होना स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी धोवन को दो साफ कांच की शीशीयो मेंआधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क टी-1, टी-2 अंकित किया गया तथा उक्त नीले भूरे व सफेद रंग के चैकडीदार टावल के रिश्वति राशि बरामदगी स्थल को सुखाकर उक्त टावल के रिश्वति राशि बरामदगी स्थल पर पेन से गोला बनाकर उक्त गोले पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर उक्त नीले भूरे व सफेद रंग के चैकडीदार टावल को कपड़े के पैकेट मेंडालकर पैकेट पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर सील्ड मोहर कर पैकेट पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये व पैकेट पर मार्क-टी अंकित किया गया। परिवादी श्री दलाराम के उनकी जमीन की रजिस्ट्री की नकल गवाह श्री दीपक कडेल के पास पूर्व में सूरक्षित रखवाई गई थी उक्त नकल का अवलोकन करने पर उक्त रजिस्ट्री श्रीमती धनू देवी पत्नी श्री विरमाराम माली निवासी शिव कालोनी कुई जोधा के खसरा नम्बर 2285 क्षेत्रफल 0.5423 हेक्टर बारानी सरहद राजगढ द्वारा परिवादी श्री दलाराम पुत्र श्री भगाराम निवासी बालेसर सता के नाम दिनांक 30.12.2024 को उप पंजियक बालेसर से होना पाया गया। उक्त रजिस्ट्री नकल कुल 01 से 09 तक पेज होना पाया गये जिसके प्रथम एवं अन्तिम पेज पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री दीपक शर्मा से परिवादी श्री दलाराम के म्यूटेशन के संबंध में पूछा गया तो आरोपी दीपक शर्मा पटवारी ने बताया कि श्री दलाराम ने कुछ महिने पहले मेरे पदस्थापन से पहले पूर्व पटवारी को म्यूटेशन भरने हेतु अपनी जमीन की रजिस्ट्री की नकल पेश की थी पूर्व पटवारी द्वारा श्री दलाराम का म्यूटेशन अभी तक नहीं भरा था तथा श्री दलाराम दिनांक 13.06.2025 को मेरे पास अपनी जमीन का म्यूटेशन भरवाने हेतु पटवार मंडल बेलवा आया था। जिस पर मैने म्यूटेशन भरने के लिये फीस के नाम से 2,000/रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी। आज श्री दलाराम मेरे पास अपनी जमीन का म्यूटेशन भरवाने हेतु आया था जिसे मैने उसकी जमीन का म्यूटेशन भरने हेतु उसकी जमीन की रजिस्ट्री की नकल गांव बेलवा मेंस्थित ई-मित्र से मंगवाई थी जो दलाराम ने आज ही मुझे रजिस्ट्री नकल सुपुर्द की थी, तथा श्री दलाराम का म्यूटेशन भरने का काम मेरे पास शेष है। पुछने पर बताया कि म्यूटेशन भरने की कोई सरकारी फीस नही लगती है। उपरोक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी मन् निरीक्षक पुलिस के मेाबाईल फोन से करवाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिशवती राशि एवं हाथ धोवन कार्यवाही आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवा कर षामिल रंनिग नोट की गई। दिनांक 24.06.2025 को वक्त 10.10 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 31 साल पेशा नौकरी निवासी 20 प्रतापनगर बेनाड रोड नाडी का फांटक मुरलीपुरा जयपुर पुलिस थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार मंडल बेलवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर को किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री दीपक शर्मा की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार मौके पर उपस्थित आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी के बेलवा स्थित किराये के मकान के पडौसी श्री सुमाराम पुत्र भगाराम जाति माली निवासी बेलवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर को दी गई। दिनांक 24.06.2025 को वक्त 10.50 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी का सेवा विवरण प्राप्त करने हेतु तहसीलदार बालेसर के नाम तहरीर जारी कर तथा पटवार कार्यालय बेलवा की चाबी पुलिस थाना बालेसर के कानि. श्री गंगाराम 939 को सुपुर्द कर उक्त कार्यालय की चाबी व सेवा विवरण की तहरीर कल दिनांक 25.06.2025 को तहसीलदार कार्यालय में देने हेतु पाबन्द किया गया। आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी का अल्प सेवाकाल होने से आरोपी के मकान की खाना तलाशी नही लेने का निर्णय लिया गया। दिनांक 24.06.2025 को वक्त 11.10 पी.एम तक रात्रि अधिक हो जाने एवं अंधेरा होने के कारण घटना स्थल नक्शा मौका बनाया जाना सम्भव नही हैं अतः मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कल दिनांक 25.06.2025 को सूर्योदय के पश्चात घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया। तथा आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी का मेडिकल करवाने हेतु एवं आरोपी को रात्रि राहदारी हेतु पुलिस थाना कुडी में जमा करवाने हेतु तहरीर जारी की गई। दिनांक 24.06.2025 वक्त 11.24 पी.एम पर मन् मनीश चैधरी निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री प्रतापसिंह चैहान वरिष्ठ सहायक एवं श्री दीपक कडेल कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री दलाराम मय गिरफतार शुदा आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सउनि, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री संजय कानि. 587, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री बलराम कानि. 252 एवं एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी के दोनो हाथो एवं रिश्वति राशि बरामदगी स्थल नीले भूरे व सफेद रंग के चैकडीदार टावल के धोवनो की शील्डसुदा शिशियां मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, टी-1, टी-2, एवं रिश्वति राशि बरामदगी स्थल नीले भूरे व सफेद रंग के चौकडीदार टावल का शील्डसुदा पैकेट मार्क-टी एवं नीले भूरे व सफेद रंग के चैकडीदार टावल से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 2,000/-रुपये एवं प्रकरण की पत्रावली, ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमेंरिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्ता रिकार्ड हैं, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली, के लेकर मय श्रीमान पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन नम्बर आर.जे. 19 सी.एच. 4143 एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आर.जे. 14 युएल 5813 मय चालक श्री लालाराम पुलिस थाना बालेमर से जरिये निजी वाहनो मय चालको के रवाना एसीबी चैकी जोधपुर ग्रामीण के लिए हुआ। दिनांक 25.06.2025 को वक्त 01.40 ए.एम. पर इस समय मन् मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस, मय समस्त

हमराहीयान के मय जब्त शुदा आर्टिकल व ट्रैप सामग्री के फिकरा उपरोक्त का पुलिस थाना बालेसर से जरिये निजी वाहन व सरकारी वाहन से रवाना सुदा सेटेलाईट अस्पताल पावटा जोधपुर पहुच आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी को मेडिकल करवाकर मडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर पावटा से रवाना होकर पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी पहुच आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी को पुलिस थाना की हवालात में दाखिल करवाकर श्री ओमप्रकाश कानि. की निगरानी डयुटी मामूर कर पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी से मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के जरिये वाहनो के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण उपस्थित आया। ट्रेप कार्यवाही से संबंधित मालखाना आईटम क्रमंशः ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी के दोनो हाथो एवं रिश्वति राशि बरामदगी स्थल नीले भूरे व सफेद रंग के चौकडीदार टावल के धोवनो की शील्डसुदा शिशियां मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, टी-1, टी-2, एवं रिश्वति राशि बरामदगी स्थल नीले भूरे व सफेद रंग के चैकडीदार टावल का शील्डसुदा पैकेट मार्क-टी एवं नीले भूरे व सफेद रंग के चैकडीदार टावल से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 2,000/-रुपये मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि0 61 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मेंइन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना किया गया। दिनांक 25.06.2025 को वक्त 02.10 ए.एम. पर इस समय स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिह चैहान व श्री दीपक कडेल व परिवादी श्री दलाराम को 06.30 ए.एम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 25.06.2025 को वक्त 07.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह चैहान वरिष्ठ सहायक एवं श्री दीपक कडेल कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री दलाराम कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। दिनांक 25.06.2025 को वक्त 07.10 ए.एम. पर मन् मनीष चैधरी निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह चैहान वरिष्ठ सहायक एवं श्री दीपक कडेल कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री दलाराम के घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु जरिये सरकारी बोलेरो मय श्री लालाराम कानि. चालक के पटवार कार्यालय बेलवा की तरफ रवाना हुआ। दिनांक 25.06.2025 को वक्त 9.10 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह चैहान वरिष्ठ सहायक एवं श्री दीपक कडेल कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री दलाराम के घटनास्थल पटवार कार्यालय बेलवा पहुच, पटवार कार्यालय की चाबी पुलिस थाना बालेसर के कानि0 श्री गंगाराम 939 से प्राप्त की जाकर परिवादी श्री दलाराम की निशानदेही पर रुबरु गवाहान के सूर्य की रोशनी में घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका अलग से मुर्तिब कर शामिल रनिग नोट किया गया। पटवार कार्यालय की चाबी पुनः कानि0 श्री गंगाराम 939 को सुपुर्द कर उक्त चाबी तहसील कार्यालय बालेसर में देने हेतु पाबंद कर मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान मय सरकारी वाहन मय चालक एवं प्रकरण की मूल पत्रावली के घटना स्थल बेलवा से कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जोधपुर के लिये रवाना हुआ। दिनांक 25.06.2025 को वक्त 11.00 ए.एम. पर मन् मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह चैहान वरिष्ठ सहायक एवं श्री दीपक कडेल कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री दलाराम के घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु जरिये सरकारी बोलेरो मय श्री लालाराम कानि. चालक के उपरोक्त फिकरा के रवाना सुदा उपस्थित एसीबी चैकी जोधपुर ग्रामीण आया। दिनांक 25.06.2025 को वक्त 11.10 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री दलाराम पुत्र श्री भगाराम जाति माली उम्र 30 वर्ष निवासी बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर जिला जोधपुर एवं आरोपी श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 31 साल पेशा नौकरी निवासी 20 प्रतापनगर बेनाड रोड नाडी का फांटक मुरलीपुरा जयपुर पुलिस थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार मंडल बेलवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर के मध्य दिनांक 13.06.2025 को हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो सेनडिस्क अल्ट्रा 32 जीबी मेमोरी कार्ड मेंरिकार्ड की गई थी, उक्त मेमोरी कार्ड मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित अभिरक्षा से निकाल कर डिजिटल वायस रिकार्डर मेंसे वक्त लेन-देन हुई वार्ता का मेमोरी कार्ड बाहर निकाल कर मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखकर डिजिटल वायस रिकार्डर मेंउक्त सेनडिस्क अल्ट्रा 32 जीबी मेमोरी कार्ड डालकर उक्त डिजिटल वायस रिकार्डर को कार्यालय के लेप-टाप से जोडकर लेप-टाप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से रुबरु गवाहान व परिवादी के सुन-सुन कर श्री रामकिशोर कानि0 13 की सहायता से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी तथा स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री दलाराम द्वारा की गई। उपरोक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे सेनडिस्क अल्ट्रा कम्पनी के 32 जीबी मेमोरी कार्ड रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वायस रिकार्डर मेंलगे मेमोरी कार्ड मेंरिकार्ड वार्ता की श्री रामकिशोर कानि0 13 से डिजिटल वायस रिकार्डर को कार्यालय के लेप-टाप से जोडकर डिजिटल वायस रिकार्डर मेंलगे मेमोरी कार्ड मेंरिकार्ड वार्ता की कार्यालय के लेप-टाप मेंकापी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेप-टाप की मदद से सेनडिस्क अल्टा कम्पनी के 32-32 जीबी के दो मैमोरी कार्ड तैयार करवाये गये। तत्पश्चात मूल मेमोरी कार्ड की हैस वैल्यू निकाल कर उसका प्रिन्ट निकाल कर शामिल रनिग नोट किया गया। ताबाद उक्त मूल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वायस रिकार्डर से बाहर निकाल कर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रुबरु गवाहान व परिवादी के मूल मैमोरी कार्ड को मैमोरी कार्ड के पैकेट में डलवाकर तत्पश्चात एक कपडे की थैली मेंडलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरे दो मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त शील्डसुदा मूल मैमोरी कार्ड एवं डब मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि0 61 को सुपुर्द कर

जमा मालखाना करवाया गया। दिनांक 25.06.2025 को वक्त 12.30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री दलाराम पुत्र श्री भगाराम जाति माली उम्र 30 वर्ष निवासी बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर जिला जोधपुर एवं आरोपी श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 31 साल पेशा नौकरी निवासी 20 प्रतापनगर बेनाड रोड नाडी का फांटक मुरलीपुरा जयपुर पुलिस थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार मंडल बेलवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर के मध्य दिनांक 24.06.2025 को हुई रूबरू रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप जो आरडी गोल्ड कम्पनी के 04 जीबी मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, उक्त मेमोरी कार्ड मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित अभिरक्षा से निकाल कर डिजिटल वायस रिकार्डर में डालकर उक्त डिजिटल वायस रिकार्डर को कार्यालय के लेप-टाप से जोडकर लेप-टाप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से रुबरु गवाहान व परिवादी के सुन-सुन कर श्री रामकिशोर कानि0 13 की सहायता से रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी श्री दीपक शर्मा पटवारी तथा स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री दलाराम द्वारा की गई। उपरोक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे आरडी गोल्ड कम्पनी के 04 जीबी मेमोरी कार्ड रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वायस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता की श्री रामकिशोर कानि0 13 से डिजिटल वायस रिकार्डर को कार्यालय के लेप-टाप से जोडकर डिजिटल वायस रिकार्डर मेंलगे मेमोरी कार्ड मेंरिकार्ड वार्ता की कार्यालय के लेप-टाप में कापी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेप-टाप की मदद से मास्टर कम्पनी 08-08 जीबी के दो मैमोरी कार्ड तैयार करवाये गये । तत्पश्चात मूल मेमोरी कार्ड की हैस वैल्यू निकाल कर उसका प्रिन्ट निकाल कर शामिल रनिग नोट किया गया। ताबाद उक्त मूल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वायस रिकार्डर से बाहर निकाल कर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रुबरु गवाहान व परिवादी के मूल मैमोरी कार्ड को मैमोरी कार्ड के पैकेट मेंडलवाकर तत्पश्चात एक कपडे की थैली मेंडलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरे दो मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त शील्डसुदा मूल मैमोरी कार्ड एवं डब मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि0 61 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। दिनांक 25.06.2025 को वक्त 1.10 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप कार्यवाही के दौरान तैयार की गई फर्द पेशकशी, भारतीय मुद्रा के नोट एवं सुपुदर्गी तथा दृष्टान्ंत फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर, हाथ धोवन कार्यवाही रिश्वत राशि बरामदी इत्यादि की मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन में विडियोग्राफी की गई थी। उक्त मोबाईल फोन को कार्यालय के लेप-टाप से जोडकर, लेप-टाप मेंविडियोग्राफी की कापी की जाकर मोबाईल फोन मेंकी गई विडियो ग्राफी की पैन ड्राईव मेंकापी की गई। उक्त विडियोग्राफी के पैन ड्राईव को खुली हालात मेंश्री अचलाराम हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 31 साल पेशा नौकरी निवासी 20 प्रतापनगर बेनाड रोड नाडी का फांटक मुरलीपुरा जयपुर पुलिस थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार मंडल बेलवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री दलाराम पुत्र श्री भगाराम जाति माली निवासी बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर जिला जोधपुर श्रीमती धनूदेवी पत्नी श्री विरमा राम से खरीद की गई कृषि भूमि खसरा संख्या 2285 रकबा 0.5423 हैक्टयर की नामान्तरण (म्युटेशन) भरने की एवज में परिवादी श्री दलाराम से दिनांक 13.06.2025 को वक्त रिश्वती राशि रुबरु मांग सत्यापन के दौरान 2500 रुपये की मांग करना व परिवादी द्वारा कुछ कम करने का कहने पर आरोपी श्री दीपक पटवारी द्वारा 2000/- रुपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमति प्रदान करना, तथा दिनांक 24.06.2025 को वक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री दलाराम से उसकी उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण (म्युटेशन) भरने की एवज में 2000/- रूपये रिश्वत राशि इशारे से मांग कर प्राप्त कर आरोपी श्री दीपक शर्मा के पटवार कक्ष के पीछे की तरफ बने बरामदे में रखी लोहे की चारपाई पर लगी लाल रंग की चद्र पर रखे नीले भूरे व सफेद रंग के चौकडीदार टावल में रखना जहां से रुबरु गवाहान रिश्वती राशि 2000/- रुपये बरामद होना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। आरोपी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। आरोपी श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 31 साल पेशा नौकरी निवासी 20 प्रतापनगर बेनाड रोड नाडी का फांटक मुरलीपुरा जयपुर पुलिस थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार मंडल बेलवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर के दोनो हाथो के अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवनो का रंग हल्का गुलाबी एवं मटमेला आना, रिश्वति राशि बरामदगी स्थल नीले भूरे व सफेद रंक के चैकडीदार टावल का लिया गया धोवन हल्का गुलाबी पाया गया। इस तरह आरोपी श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 31 साल पेशा नौकरी निवासी 20 प्रतापनगर बेनाड रोड नाडी का फांटक मुरलीपुरा जयपुर पुलिस थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार मंडल बेलवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमाकन जरिये ई-मेल प्रेषित की जा रही है। एसडी/- (मनीष चौधरी) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण............कार्यवाही पुलिस.....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी

प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 31 साल पेशा नौकरी निवासी 20 प्रतापनगर बेनाड रोड नाडी का फांटक मुरलीपुरा जयपुर पुलिस थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार मंडल बेलवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री गोरर्धन राम, उप पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जोधपुर इन्टें.,जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 1045 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 941-44 दिनांक 25.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर, 2. जिला कलक्टर जोधपुर। 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 5.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** gordhan ram **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 25/06/2025 19:[illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)